निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

052- किशनपोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री अमीन कागजी पता म.नं.1, नीयर मंडावा हाउस, (वार्ड नं. 76), संसार चन्द्र रोड़, जयपुर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

रथान : राजरथान कॉलेज,

ज़वाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

दिनांक : 11.12.2018

(हर्षित वर्मा)

रिटर्निंग ऑफिसर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर

052-किशनपोल ,विधानसभा क्षेत्र

FORM - 21 - C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From the Assembly Constituency in 052 - KISHANPOLE

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 or the Conduct of Elections Rule, 1961, I declare that –

Shri AMIN KAGZI Address H.NO. 1, NEAR MANDAWA HOUSE, (WARD NO 76), SANSAR CHANDRA ROAD, JAIPUR sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Rajasthan College,

un ingen delen eine natur ingen eine bilbit. Die in eren der

Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur

Date:11-12-2018

(Harshit Verma) Returning Officer

Sub-divisional Officer & Sub-divisional Magistrate, Jaipur 052-Kishanpole Assembly Constituency

(Harshii

the Market and the Control of the Co